न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 60/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पताः– 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एल.बी.एस. कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर, शाखा कार्यालय दांतारामगढ़ सीकर (राज.)।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. प्रभु दयाल पुत्र घीसालाल जाट निवासी–96 मौहल्ला रैगरान करड, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राजस्थान– 332710।
2. उमा देवी पत्नी घीसालाल जाट, निवासी –96 मौहल्ला रैगरान करड, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राजस्थान– 332710।
3. रामेश्वर लाल पुत्र गुल्ला राम, निवासी– 84 शाहु लक्ष्मीपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राज. 332710।
4. मुरारी लाल पुत्र राम लाल, निवासी– 35 ढ़ाणी बाबरीयान मगरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राज. 332710। ,

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः07 नवम्बर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सैनी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण प्रभु दयाल, उमा देवी, रामेश्वर लाल, मुरारी लाल को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में ऑल देट पार्ट एण्ड पार्सल प्रोपर्टी ऑफ प्रभु दयाल पुत्र घीसाराम जाट जो पट्टा नम्बर 44, ग्राम पंचायत करड़, पंचायत समिति दांतारामगढ़, जिला सीकर में स्थित है जिसका क्षैत्रफल 3295 वर्गगज है तथा जिसके उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में मंदिर की भूमि, पूर्व में मंदिर की भूमि, पश्चिम में कुएं पर जाने का रास्ता स्थित हैं, को बंधक रखकर 8,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये आठ लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 14.06.2019 को

रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी ऋणी की ओर से वकील श्री भगत सिंह ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु अवसर चाहा परन्तु आदिनांक तक कोई जवाब/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

3.
4. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 14.06.2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है। वित्तीय संस्थान को भारत के राजपत्र दिनांक 24.10.2018 में सरफेसी अधिनियिम के उपखण्ड के प्रयोजन हेतु वित्तीय संस्थान निर्दिष्ट किया गया है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **प्रभु दयाल, उमा देवी, रामेश्वर लाल, मुरारी लाल** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **ऑल देट पार्ट एण्ड पार्सल प्रोपर्टी ऑफ प्रभु दयाल पुत्र घीसाराम जाट जो पट्टा नम्बर 44, ग्राम पंचायत करड़, पंचायत समिति दांतारामगढ़, जिला सीकर में स्थित है जिसका क्षैत्रफल 3295 वर्गगज है तथा जिसके उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में मंदिर की भूमि, पूर्व में मंदिर की भूमि, पश्चिम में कुएं पर जाने का रास्ता स्थित हैं,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 07 **नवम्बर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yagya Mitra Singhdeo
Date: 2019.11.13 16:09:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: